(24)

OA-212/2024/EZ

To

The Registrar
N.G.T. Eastern Zone Bench,
Kolkata (W.B.)

Sub: Objection raised for garbage dumping point and Govt. Panchayat Bhawan Construction at flood Area

Dear Sir,

I Narendra Singh, S/o Late Murari Singh, R/o Vill & P.O. Rampur, Ramhar, P.S. Jandaha, Dist. Vaishali (Bihar)

This is to inform you that my village Mukhiya Sanjeet Kumar Paswan (Lashmipur Brahmbatta Panchayat) has been constructing a Panchayat Bhawan and garbage dumping point at Plot No. 619 & 620 which is situated at the bank of Baya river, where flood comes every year when flood comes the area of 7 to 8 feet water has been accumulated and at that point our house and village is being situated.

Due to dumping off garbage the river and concerned area would be effected and water and air will be polluted resulting epidemic or the Panchayat Bhawan at river area will cause men and material loss adding loss of Govt. property. Which is violation of N.G.T. (National Green Tribunal) or Water Act 1974, in this law any construction is allowed beyond 100 to 200 meter area. No rule or law has been followed by the Mukhiya during such construction and dumping garbage.

To, Judicial
29.7.24.

NGT, EZB, KOLKATA
Receipt No. NGT/EZB/K01/268
Date 29/07/2024

To: Brijesh ji
Please put up as PGI
Letter petition
Vinod 29/7/24

P.T.O

It, is therefore, request you to accept the application and take necessary action against such illegal construction and garbage dumping, earlier a complain in this regard given to District Administration Vaishali (Bihar) unfortunately no action has been taken.

Yours faithfully

Nrsingh

Narendra Singh
S/o Late Murari Singh
Vill & P.O. Rampur, Ramhar
P.S. Jandaha, Dist. Vaishali
State – Bihar- 844122
Mob. No.- 9204944137

Mukhiya
Sanjeet Kumar Paswan
(Lakshmipur Brahmbatta Panchayat
Vill & P.O. Rampur, Ramhar
P.S. Jandaha, Dist. Vaishali
State - Bihar -844122

Mob:- 9210928266

सेवा में,

श्रीमान ....पुलिस अधीक्षक महोदय....

.......हाजीपुर.......

विषयः– **NGT** (राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल) जल अधिनियम 1974 के तहत नदी या किनारा मे कुड़ा कचरा डंपिग पॉईट और भवन निर्माण की रोक हेतु आवेदन महोदय को समर्पित।

महाशय,

सविनय निवेदन यह है कि मैं नरेन्द्र सिंह,पिता–स्व0 मुरारी सिंह, ग्राम+पो0–रामपुर रामहर थाना–जन्दाहा जिला–वैशाली बिहार का रहने वाला हुँ। वही हमारे गॉव रामपुर रामहर या लक्ष्मीपुर ब्रह्मबट्टा पंचायत के मुखिया संजीत पासवान द्वारा गलत तरीके से बया नदी का किनारा जो सुखी पड़ी है वहाँ सुखा मे हमलोग द्वारा वर्षो से कृषि कार्य किया जाता रहा है और वही पे कुछ दुरी पर हमसबो का घर भी है कूडा कचरा पॉइट व नया भवन निर्माण मुखिया द्वारा करवाया जा रहा है जो जल प्रदुषण व महामारी को बढावा देगा। उनके ऐसा करने से जल अधिनियम 1974 का उल्लंघन होगा। जल अधिनियम 1974 के तहत 200–300 मीटर दुर ही कुडा–कचरा डंपिग पॉइंट या नया भवन का निर्माण किया जा सकता है। यह जॉच का बिषय है।

अतः श्रीमान से करबद्व प्रार्थना है कि आप इसे जॉच कर इनके द्वारा नदी किनारे कूडा–कचरा पॉइंट व नया भवन निर्माण पर अविलंब रोक लगाये व इनसे जल बिभाग या प्रदुषण विभाग द्वारा निर्गत **NOC** की मॉग की जाए। मुझे बिश्वाश है आप हमारी मदद जरूर करेगें। इसके लिए मैं महोदय का सदा अभारी रहुँगा।

प्रतिलिपी

1.जन शिकायत कोषांग हाजीपुर

2.जिला आयुक्त हाजीपुर

3.पुलिस अधीक्षक हाजीपुर

4.अंचल अधिकारी जन्दाहा

5.थाना प्रभारी जन्दाहा

आपका विश्वासी

नरेन्द्र सिंह

नरेन्द्र सिंह

पिता–स्व0 मुरारी सिंह

ग्राम+पो0–रामपुर रामहर

(लक्ष्मीपुर ब्रह्मबट्टा पंचायत)

थाना–जन्दाहा

जिला–वैशाली

नरेन्द्र सिंह

P.T.O

विरोध कर्ता

चन्द्रकेत कुमार सिंह
राम कुमार सिंह
विद्याभूषण कुमार
अभिमन्यु कुमार सिंह
मोहित सिंह
Kunal Kumar
RISHI RAJ SINGH
ABHISHEK SINGH
Ankush Raj
प्रभु रंजन सिंह
राकेश कुमार सिंह
Ayush Kumar
Neeraj Kumar
Priyanshu Raj
Gauri Shankar Singh
Shiv Shankar Singh
नवनीत कुमार
राम कुमार सिंह
विनय कुमार सिंह
Nitishwar P.d. Singh

Abhisekh Kr Singh
Vinod Singh
शम्भु सिंह
मोहन सिंह
मनोज कुमार सिंह
सुरेन्द्र सिंह
PRINCE KUMAR
रामानन्द सिंह
[illegible]
आनन्द कुमार
[illegible] साह
[illegible] साह
[illegible] सिंह
विश्वजीत कुमार

[illegible] सिंह

नोट:- महोदय ये कानून क्या नदी पर भी तो लागू होता है।

ा के किनारे कचरा फेंकने पर प्रतिबंध

14 Jul 2017 3 min read

संदर्भ

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने 1985 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गंगा नदी के किनारे पाँच सौ मीटर के दायरे में कूड़ा-कचरा फेकने पर रोक लगाते हुए हरिद्वार से उन्नाव तक गंगा नदी के सौ मीटर के दायरे में किसी भी तरह के विकास कार्यों पर रोक लगा दी है। इसके उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जायेगा।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गंगा नदी के किनारे पाँच सौ मीटर के दायरे में कूड़ा-कचरा फेकने पर रोक लगाते हुए हरिद्वार से उन्नाव तक गंगा नदी के सौ मीटर के दायरे को 'नो डेवलपमेंट ज़ोन' घोषित किया है। अब नदी में कचरा फेंकने वालों को पचास हज़ार रुपए का पर्यावरण जुर्माना भरना पड़ेगा।
- एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तराखंड सरकार को गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के घाटों पर धार्मिक कार्यों को करने संबंधी दिशा-निर्देश बनाने का निर्देश दिया है।
- अधिकरण ने आईआईटी के प्रोफेसरों एवं उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को मिलाकर जल संसाधन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक पर्यवेक्षी समिति की भी नियुक्ति की है [illegible] के निर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी करेंगे।

प्रशासनिक विभाग मे
भी शिकायत गया था

EF496070050IN IVR:6970496070050
SP MAHUWA SO <844122>
Counter No:1,03/07/2024,13:39
To:LOK ADALAT AN,HAJIPUR
PIN:844101, Hajipur HO
From:NARENDRA SINHA,HDAHAJAN
Wt:35gms
Amt:41.30,Tax:6.30,Amt.Paid:41.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक India Post

EF484162363IN IVR:6970484162363
SP MAHUWA SO <844122>
Counter No:1,03/07/2024,13:39
To:POLICE ADHICHAK,HAJIPUR
PIN:844101, Hajipur HO
From:NARENDRA SINHA,HDAHAJAN
Wt:35gms
Amt:41.30,Tax:6.30,Amt.Paid:41.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक India Post

EF484162479IN IVR:6970484162479
SP MAHUWA SO <844122>
Counter No:1,03/07/2024,13:39
To:JILA AYUKT MA,JILA HAJIPUR
PIN:844101, Hajipur HO
From:NARENDRA SINHA,HDAHAJAN
Wt:35gms
Amt:41.30,Tax:6.30,Amt.Paid:41.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक India Post

EF484162598IN IVR:6970484162598
SP MAHUWA SO <844122>
Counter No:1,03/07/2024,13:39
To:DCLR ,MAHUA
PIN:844122, Mahuwa SO
From:NARENDRA SINHA,HDAHAJAN
Wt:35gms
Amt:17.70,Tax:2.70,Amt.Paid:18.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक India Post

EF484162584IN IVR:6970484162584
SP MAHUWA SO <844122>
Counter No:1,03/07/2024,13:39
To:ANCHAL PADADHI,JANDAHA
PIN:844505, Jhandaha SO
From:NARENDRA SINHA,HDAHAJAN
Wt:35gms
Amt:41.30,Tax:6.30,Amt.Paid:41.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक India Post

EF484162465IN IVR:6970484162465
SP MAHUWA SO <844122>
Counter No:1,03/07/2024,13:39
To:THANA PRABHARI,JANDAHA THANA
PIN:844505, Jhandaha SO
From:NARENDRA SINHA,HDAHAJAN
Wt:35gms
Amt:41.30,Tax:6.30,Amt.Paid:41.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक India Post

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई ग्राम पं.राज लक्ष्मीपुर ब्रह्मबट्टा जन्दाहा

विस्तृत जानकारी state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखी जा सकती है।

PR-002744 (B C D) 2024-25

कार्यपालक अभियंता

नशे की मार, परिवार करे तार-तार

योजना एवं विकास विभाग

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-02, महनार

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-01(SBD)/2024-25

(केवल ई-टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

बिहार के राज्यपाल महोदय की ओर से बिहार राज्य के किसी भी कार्य विभाग / निगम / अन्य राज्य सरकार / केन्द्र सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय ख्याति के किसी भी एजेंसी में समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदकों से प्रतिशत दर निविदा दो बीड प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय) अन्तर्गत आमंत्रित किये जाते है। यदि संवेदक बिहार राज्य के किसी कार्य विभाग / निगम में पूर्व से निबंधित नहीं है, तब एकरारनामा के पूर्व निम्नलिखित कार्य का स्वीकार पत्र (लेटर ऑफ एक्सेपटेंस) प्राप्त होने के बाद बिहार राज्य के किसी भी कार्य विभाग / निगम (जिसमें निबंधन की प्रक्रिया लागू हो) में निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

1. कार्यो की विवरणी :-

क्र० संख्या	कार्य का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (लाख रु० में)	अग्रधन की राशि (ऑन लाईन मोड या ऑफ लाईन मोड में केवल B.G. के रूप में) (लाख रु० में)	परिमाण-विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय केवल ऑनलाइन मोड में भुगतान) (रूपये में)	बीड प्रोसेसिंग शुल्क (अप्रत्यर्पणीय केवल ऑनलाइन मोड में भुगतान) (रूपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह में)
01	02	03	04	05	06	07
01	वैशाली जिला अन्तर्गत राजापाकर प्रखंड के राजापाकर उत्तरी पंचायत मे पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य।	300.50471	6.010094	10000.00	As per eproc2 website	14 माह
02	वैशाली जिला अन्तर्गत राजापाकर प्रखंड के लगुराव बिलदपुर पंचायत मे पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य।	299.85387	5.997077	10000.00	As per eproc2 website	14 माह
03	वैशाली जिला अन्तर्गत महनार प्रखंड के चमरहरा पंचायत मे पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य।	304.90122	6.098024	10000.00	As per eproc2 website	14 माह
04	वैशाली जिला अन्तर्गत जन्दाहा के मुकुन्दपुर भाथ मे पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य।	303.06791	6.061358	10000.00	As per eproc2 website	14 माह
05	वैशाली जिला अन्तर्गत जन्दाहा प्रखंड के लक्ष्मणपुर बरवट्टा पंचायत मे पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य।	302.50911	6.050182	10000.00	As per eproc2 website	14 माह
06	वैशाली जिला अन्तर्गत पातेपुर प्रखंड के हरलोचनपुर सुक्की पंचायत मे पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य।	304.48753	6.089751	10000.00	As per eproc2 website	14 माह
07	वैशाली जिला अन्तर्गत पातेपुर प्रखंड के मालपुर पंचायत मे पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य।	304.96355	6.099271	10000.00	As per eproc2 website	14 माह

2. विज्ञापन निर्गत करने की तिथि : दिनांक 21.08.2024
3. निविदा कागजात अपलोड करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय : दिनांक 01.08.2024 को 10.00 बजे पूर्वाहन से। (सिर्फ वेबसाईटwww.eproc2.bihar.gov.in पर)
4. प्री-बीड मीटिंग का समय, स्थान एवं तिथि : दिनांक 05.08.2024 समय 3.00 बजे, मुख्य अभियंता का कार्यालय, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, चतुर्थ तल, कमरा नं0-423, बेली रोड, पटना-800015
5. निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 08.08.2024 समय 3.00 बजे अपराहन तक। (सिर्फ वेबसाईटwww.eproc2.bihar.gov.in पर)
6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 12.08.2024 समय 3.30 बजे अपराहन से। (कडिका 5 में उल्लेखित अंतिम तिथि से दो कार्य दिवस के पश्चात् की तिथि)। (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय : सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जायेगी। (सिर्फ वेबसाईटwww.eproc2.bihar.gov.in पर)
8. निविदा खोलने का स्थान : www.eproc2.bihar.gov.in पर
9. निविदा की वैधता,अवधि : 120 दिन (निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद)

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन प्रमण्डल, कार्य प्रमंडल-02, महनार

विस्तृत जानकारी state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

कार्यपालक अभियंता

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन